प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रकिया सहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, बांसवाडा थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष, 2022

प्र.इ.रि.स. 250/2022 दिनांक 23/6/2022

2. (i) अधिनियम पीसी एक्ट 1988 धारायें – 13 (1) (क), 13 (2) भ्रष्टचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादस।

(ii) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता –

(iii) अधिनियम – धारायें –

(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें –

3. (अ) रोमनामचा आम रपट संख्या 429 समय 5.40 PM,

(ब) अपराध के घटने का दिन व समय: वर्ष 2018–19 से 2019–20

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 29.05.2020

4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक : –

5. घटना स्थल :

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दुरी : दक्षिण दिशा दुरी लगभग 600 किलो मीटर

(ब) पता : कार्यालय ग्राम पंचायत वखतपुरा, पंचायत समिति अरथुना जिला बांसवाडा

.....बीट संख्या .....जरायमदेही संख्या.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना सी0पी0एस0 जयपुर जिला चौकी भ्रनिब्यूरो,बांसवाडा

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :

(अ) नाम : – जरिये सरकार माधोसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो बांसवाडा।

(ब) पिता – –

(स) जन्म तिथि/वर्ष – –

(द) राष्ट्रीयता : –

(य) पासपोर्ट संख्या .....– ..... जारी होने की तिथि.....

जारी होने की जगह.....–.....

(र) व्यवसाय –

(ल) पता –

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :

(1) श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री भुरालाल निवासी सेनाला तहसील अरथुना जिला बांसवाडा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत वखतपुरा पंचायत समिति अरथुना जिला बांसवाडा।

(2) श्री मुकेशचन्द्र गरासिया पिता श्री चंपालाल गरासिया निवासी केरापुरा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक अतिरिक्त कार्यभार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत वखतपुरा पंचायत समिति अरथुना जिला बांसवाडा।

(3) श्री मयंक जोशी पिता श्री कृपाशंकर जोशी निवासी सरेडी बडी तहसील गढी जिला बांसवाडा तत्कालीन कनिष्ठ तकनीकी सहायक पंचायत समिति अरथुना जिला बांसवाडा।

(4) श्री महिपाल कटारा पुत्र श्री महेश्वरलाल कटारा निवासी गांव पोरडा पोस्ट वखतपुरा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा तत्कालीन कनिष्ट अभियन्ता, प0स0 बागीदौरा हाल सहायक अभियन्ता, प0स0 आनंदपुरी जिला बांसवाडा।

(5) तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति अरथुना जिला बांसवाडा।

(6) श्री पंकज पाटीदार प्रोपराईटर मैसर्स पाटीदार बिल्डींग मटेरियल व कृषि फार्म अरथुना जिला बांसवाडा।

(7) प्रोपराईटर कृष्णा ऐजेन्सी अरथूना जिला बांसवाडा।

8. शिकायत/सूचना देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण : कोई विलम्ब नहीं

9. चुराई हुई/संलप्ति सम्पत्ति का विवरण (अगर आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)

क्र.सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तुस्थिति
–	–	–	–

10. चुराई हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य : 29,43,474 रुपये

11. मर्ग सूचना/अप्राकृति मृत्यु केस नंबर यदि कोई हो तो :

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु (मजमून) (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे) :–

M

महोदय,

निवेदन हैं कि दैनिक भास्कर अखबार में दिनांक 18.02.2020 को खबर छपी कि वखतपुरा में एक ही सडक को दो जगह बताकर उठा लिया भुगतान अरथुना क्षेत्र की वखतपुरा ग्राम पंचायत में भारी धोटाला, मौके पर काम हुए ही नही, वखतपुरा ग्राम पंचायत में अधिकारियों की मिलीभगत से लाखों रुपये के काम कागजों में होना दिखाकर भुगतान उठा लिया गया। वहीं हेण्ड पम्प खुदाई के कुछ कार्य ऐसे है जो सार्वजनिक के बजाय निजी हितार्थ लोगो की प्राईवेट जमीन पर खाद दिये गये। एक ही सडक को अलग अलग दर्शा कर भुगतान उठा लेने का भी मामला सामने आया है घाटा कटिंग का एक काम जो पिछले कई सालों से जारी है जो कि संभवतया पंचायत की बेशकीमती जमीन को समतल कर खुर्द बुर्द करने की नियत से किया जा रहा था उसे भी ग्राम पंचायत मद से करना दर्शा दिया गया। छः सीसी सडक पिछले एक साल में बनाना बताई गई। सरकारी नियमों के अनुसार यह सडके अगले दस सालों तक के लिए टिकाउ मानी जाती है। पांच साल पहले इनकी मरम्मत की अनुमति भी नही दी जाती। लेकिन यह सडके एक साल से भी कम अवधि में ही उखड गई। मौके पर केवल गिट्टी बिछी नजर आ रही है। इस ग्राम पंचायत की कैश बुक में 11.45 लाख रुपये की राशि का हिसाब किताब भी नही है। गांव में छः सीसी रोड बनाना बताई गई है सभी का क्वालिटी कंट्रोल की सरकारी लैब से गुणवत्ता परीक्षण कराना था। लेकिन मात्र दो सडकों का परीक्षण कराया गया वह भी निजी लैब से जो कि मान्य नही है। वहीं कई काम ऐसे है जिनका तकनीकी अधिकारी से मूल्यांकन भी नही कराया गया। कुछ मूल्यांकन जेटीए से करा लिया गया जबकि जेटीए को मूल्यांकन का अधिकार ही नही। घाटा कटिंग के दो काम थे पहला लेबा भगत के घर से गुर्जरवाडा तक व दूसरा माताजी मन्दिर के पास से नाले तक। ग्रामीणों के अनुसार मौके पर यह दोनों कार्य हुए ही नही। पंचायत के रिकार्ड के अनुसार इन दोनो कामों के लिए दो लाख रुपये की राशि खर्च होना बता गबन कर लिया गया। ग्राम पंचायत भवन राजीव गांधी सेवा केन्द्र से मुख्य सडक के बीच स्थित टेकरी पर घाटा कटिंग का काम पिछले कई सालों से चल रहा है जो कि संभवतः बेशकीमती जमीन को खुर्द बुर्द करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के रिकार्ड में पिछले एक साल में सरकारी खर्च से इन काम को करना बता करीब एक लाख रुपये की राशि उठा ली गई। पंचायत भवन से अरथुना मुख्य सडक तक सीसी रोड निर्माण के लिए छः माह पूर्व डेढ लाख रुपये की राशि स्वीकृत होना बता 1 लाख 46 हजार रुपये खर्च होना बताया भुगतान कर दिया गया। जबकि पिछले एक साल में यहां कोई काम हुआ ही नही। इसके अलावा भी कई कार्य ऐसे है जो कागजों में है। लेकिन मौके पर नही। जबकि इन कामों को पूरा होना बता राशि खर्च होना बता दी गई। उक्त प्रकाशित खबर पर ब्यूरो में परिवाद संख्या 78/2020 दर्ज किया जाकर जांच प्रारम्भ की गई।

परिवाद की जांच के दौरान घाटा कटींग अटल सेवा केन्द्र वखतपुरा, घाटा कटिंग व भराव कार्य माताजी मन्दिर के पास सेनाला, घाटा कटिंग कार्य लेम्बा भगत के घर से गुर्जरवाडा तक वखतपुरा, एलईडी लाईट स्थापना कार्य सेनाला, हाईमारक लाईट सुदृढीकरण पोरडा, सीसी सडक वेसात/कुरिया के घर से विरजी/भीखा के घर तक, सीसी सडक बाडीया सीमा से दौलतपुरा पुलिया तक, सीसी सडक मैन रोड से पृथ्वीसिंह के घर तक पोरडा, सीसी सडक निर्माण सुर्यसिंह के घर से नाहरसिंह के घर तक पोरडा, सीसी सडक श्मशान घाट गुर्जरवाडा से मनजी भाई के घर तक वखतपुरा व हैण्डपम्प स्थापना आदि कार्यो से संबधित रिकार्ड यथा प्रस्ताव, कार्यादेश, मस्टरोल, माप पुस्तिका, बिल, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति आदि समस्त रिकार्ड की छायाप्रतियां ग्राम पंचायत वखतपुरा से प्राप्त की व जिला परिषद बांसवाडा ने आदेश क्रमांक 508 दिनांक 26.02.2020 के द्वारा में तकनीकी कमेटी गठित कर उक्त कार्यो की जांच कराई थी। इस तकनीकी कमेटी की तकनीकी जांच रिपोर्ट जिला परिषद बांसवाडा से प्राप्त की गई। परिवाद की सम्पूर्ण जांच व तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट से ग्राम पंचायत वखतपुरा में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये गये निर्माण कार्यों में निम्न प्रकार अनियमितता पायी गई है :–

1– **घाटा कटिंग व भराव कार्य माताजी मन्दिर के पास सेनाला**– घाटा कटिंग व भरावा कार्य माताजी मन्दिर के पास सेनाला का कार्य एस–एफ–सी योजना में स्वीकृत होकर कार्य की तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 359 दिनांक 19.02.2019 एवं प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति क्रमांक 166 दिनांक 20.02.2019 के द्वारा कार्य हेतु 1 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। कार्य पर श्रम में राशि शून्य व सामग्री मद में राशि 98970 रुप्ये कुल व्यय राशि 98970 रुपये पाया गया। ग्राम पंचायत वखतपुरा द्वारा उक्त कार्य का मूल्यांकन नही करवाया गया है। उक्त कार्य का जिला परिषद कमेटी द्वारा दिनांक 26.06.2020 को भौतिक सत्यापन करने पर मौके पर केवल भराव कार्य ही पाया गया जबकि घाटा कटिंग का प्रावधान लिया गया, मौके पर आवश्यकता भराव की थी। जिससे साबित होता है कि तकनीकी सहायक द्वारा बिना मौके का निरीक्षण किये काल्पनिक तकनिना बनाया गया एवं ग्राम पंचायत द्वारा भी घाटा कटिंग का जेसीबी द्वारा कार्य किये जाने का बिल लगा रखा है। जिसका मौके से कोई वास्ता नही है। क्योंकि वहं घाटा कटींग का कार्य ही नही हुआ है।

कमेटी ने उक्त कार्य पेटे जेसीबी पर व्यय की राशि 64605 रुपये को बिना कार्य के फर्जी भुगतान व भराव के लिये व्यय की गई राशि 34365 रुपये को सही माना है। इस प्रकार उक्त कार्य हेतु जेसीबी एवं भराव पर मैसर्स पाटीदार बिल्डींग एवं मटेरियल एण्ड कृषि फार्म अरथुना जिला बांसवाडा का बिल संख्या 03 दिनांक 15.06.2019 कुल 98970 रुपये का लगाकर भुगतान किया गया है। मौके पर तकनीकी कमेटी द्वारा जांच की गई तो किसी प्रकार की घाटा कटिंग नही पाई गई है एवं घाटा कटिंग हेतु फर्जी बिल लगाकर फर्म को भुगतान किया गया है जिसके लिये तत्कालीन सरपंच श्रीमती विमला देवी, ग्राम विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र गरासिया, मयंक जोशी जेटीए, फर्म के प्रोपराईटर श्री पंकज पाटीदार दोषी है। इस प्रकार बिना घाटा कटींग कार्य के 64605 रुपये का फर्जी भुगतान कर राजकीय राशि को मिलीभगत कर हड़प लिया है।

2– घाटा कटिंग कार्य लेम्बा भगत के घर से गुर्जरवाडा तक वखतपुरा– उक्त कार्य हेतु एस–एफ–सी योजना के तहत स्वीकृत होकर कार्य की तकनीकी स्वीकृति कमांक 397 दिनांक 19.02.2019 एवं प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति कमांक 165 दिनांक 20.02.2019 के द्वारा कार्य हेतु 1 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। कार्य पर श्रम राशि शुन्य व सामग्री मद में राशि 99560 रुपये कुल व्यय राशि 99560 रुपये पाया गया। ग्राम पंचायत वखतपुरा द्वारा उक्त कार्य का मूल्यांकन नही करवाया गया है। घाटा कटिंग कार्य लेम्बा भगत के घर से गुर्जरवाडा तक वखतपुरा का जिला परिषद टीम द्वारा दिनांक 26.06.2020 को भौतिक सत्यापन करने पर मौके पर किसी प्रकार का घाटा कटिंग का कार्य नही पाया गया। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कार्य किये पैसा व्यय किया गया है, व्यय की सम्पूर्ण राशि 99560 रुपये का बिल संख्या 2 दिनांक शून्य मैसर्स पाटीदार बिल्डींग एवं मटेरियल एण्ड कृषि फार्म अरथुना जिला बांसवाडा का लगाकर फर्जी भुगतान किया गया है। जिसके लिये तत्कालीन सरपंच श्रीमती विमला देवी, ग्राम विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र गरासिया, मयंक जोशी जेटीए, फर्म के प्रोपराईटर श्री पंकज पाटीदार दोषी है।

3– एलईडी लाईट स्थापना कार्य सेनाला– उक्त कार्य एस–एफ–सी योजना के तहत स्वीकृत किया जाकर तकनीकी स्वीकृति कमांक 34 दिनांक 25.09.2018 एवं प्रशासकि एवं वित्तिय स्वीकृति कमांक 157 दिनांक 13.02.2019 के द्वारा उक्त कार्य हेतु 1.55 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई। उक्त कार्य हेतु श्रम में राशि शुन्य व सामग्री मद में राशि 152850 कुल व्यय राशि 152850 रुपये पाया गया। ग्राम पंचायत की माप पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 45, 46 पर मूल्यांकन राशि 154350 सहायक अभियंता श्री महिपाल कटारा द्वारा मुल्यांकन दर्ज कर रखा है। एलईडी लाईट स्थापना कार्य सेनाला का जिला परिषद कमेटी के द्वारा दिनांक 26.06.2020 को भौतिक सत्यापन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एलईडी लाईट हेतु जारी की गई थी। जबकि मौके पर बड़े पोल पर चार हाई मास्क लाईट स्थापना की हुई पायी। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा हाई मास्क लाईट स्थापना करने हेतु अधिकृत(सक्षम) नही होने के उपरांत भी एलईडी लाईट के नाम से हाई मास्क लाईट की स्थापना की गई है, जो अनियमितता की श्रेणी में होकर व्यय की गई कुल राशि 152850 रुपये अनियमित भुगतान होकर वसूली योग्य कमेटी ने माना है। जिसके लिये तत्कालीन सरपंच श्रीमती विमला देवी, ग्राम विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र गरासिया एवं महिपाल कटारा सहायक अभियंता व फर्म कृष्णा ऐजेन्सीज अरथूना ने मिलीभगत कर एलईडी लाईट की स्वीकृति के बावजूद सक्षम नही होते हुए हाईमास्क लाईट की स्थापना कर राजकीय राशि का अनियमित भुगतान कर दुरुपयोग किया है।

4– हाईमास्क लाईट सुदृढीकरण पोरडा– उक्त कार्य एफ–एफ–सी योजना में स्वीकृत होकर तकनीकी स्वीकृति कमांक 156 दिनांक 12.02.2019 एवं प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कमांक 56 दिनांक 12.02.2019 के द्वारा 1.35 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। उक्त कार्य हेतु श्रम मद में शुन्य व सामग्री मद में राशि 1,35580 रुपये व्यय किया गया है। तकनीकी कमेटी की जांच में कमेटी ने पाया कि हाई मास्क लाईट सुदृढीकरण ग्राम पंचायत द्वारा हाई मास्क पुरानी लाईट का स्थापन कर रखी है जबकि राज्य सरकार द्वारा पूर्व से ही हाईमास्क लाईट लगाने पर प्रतिबंध है इसके उपरान्त भी श्री महिपाल कटारा द्वारा कार्य का तकमिना तैयार किया गया। उक्त कार्य नियम विरुद्ध एवं हाई मास्क लाईट लगाने पर प्रतिबंध होने के उपरान्त भी 1,32,580 रुपये का अनियमित भुगतान किया गया है। जिसके लिये तत्कालीन सरपंच श्रीमती विमला देवी, ग्राम विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र गरासिया एवं महिपाल कटारा सहायक अभियंता व अन्य दोषी है।

5– सीसी सडक वेसात/कुरिया के घर से विरजी/भीखा के घर तक– उक्त कार्य पंचायत समिति मद योजना में स्वीकृत होकर तकनीकी स्वीकृति कमांक 5 दिनांक 29.11.2017 एवं विकास अधिकारी अरथुना जिला बांसवाडा ने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कमांक 1290 दिनांक 30.08.2018 के द्वारा श्रम मद में

1.40 लाख रुपये एवं सामग्री मद में 8.59 लाख रुपये कुल 10 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई। उक्त कार्य हेतु श्रम मद में राशि 138240 व सामग्री मद में राशि 857000 कुल व्यय राशि 995240 पाया गया। ग्राम पंचायत माप पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 40, 41, 42 पर मूल्यांकन राशि 1016550 रुपये तकनीकी सहायक मयंक जोशी द्वारा मूल्यांकन दर्ज कर रखा है। साथ ही सहायक अभियंता पंचायत समिति अरथुना द्वारा माप मूल्यांकन का प्रमाणित किया गया है। उक्त सीसी सड़क का जिला परिषद की कमेटी द्वारा दिनांक 26.06.2020 को भौतिक सत्यापन करने पर सडक की लम्बाई व चौडाई माप पुस्तिका के अनुरुप मौके पर पाई गई एवं मौटाई भी माप पुस्तिका के अनुरुप पाई गई। परन्तु कमेटी द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता बिल्कुल घटीया होने के कारण पुरी सडक कंक्रीट उखड कर बिखरी हुई पायी गयी। कार्य घटिया होने व अनुपयोगी होने से राशि निष्फल मानी जाकर कार्य पर कुल व्यय राशि 995240 रुपये अनियमित भुगतान होकर वसुली योग्य कमेटी ने माना है। जिसके लिये तत्कालीन सरपंच श्रीमती विमला देवी, ग्राम विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र गरासिया, मयंक जोशी जेटीए, सहायक अभियंता महिपाल कटारा दोषी है।

6– सीसी सडक बाडीया सीमा से दौलतपुरा पुलिया तक– उक्त कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति कमांक 398 दिनांक 19.02.2019 एवं सरपंच ग्राम पंचायत वखतपुरा द्वारा आदेश कमांक 165 दिनांक 20.2.2019 के द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति राशि 4.14 लाख रुपये की जारी की गई है। उक्त कार्य पर श्रम मद में राशि 49410 रुपये व सामग्री मद में राशि 349250 कुल व्यय 398660 रुपये पाया गया। ग्राम पंचायत की माप पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 51, 52 पर मूल्यांकन राशि 401698 रुपये तकनीकी सहायक मयंक जोशी द्वारा मूल्यांकन दर्ज कर रखा है। जबकि तकनिकी सहायक से राज्य सरकार द्वारा मूल्यांकन एवं यूसी/सीसी जारी करने हेतु अधिकृत नही किया गया है। उक्त सीसी सड़क के जिला परिषद कमेटी के द्वारा दिनांक 26.06.2020 को भौतिक सत्यापन करने पर मौके पर निर्माण कार्य खुर्द बुर्द होकर सडक पर कंक्रीट बिखरी हुई पायी गई। साथ ही सीसी सडक का कार्य होना भी प्रतीत नही होता है। कार्य घटीया होने से कार्य की उपयोगिता पर विपरीत प्रभावन होकर व्यय राशि निष्फल मानी जाकर कुल व्यय राशि 398660 रुपये अनियमित भुगतान होकर कमेटी द्वारा वसुली योग्य माना है। जिसके लिये तत्कालीन सरपंच श्रीमती विमला देवी, ग्राम विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र गरासिया, मयंक जोशी जेटीए दोषी है।

7– सीसी सडक श्मशान घाट गुर्जरवाडा से मनजी भाई के घर तक वखतपुरा– उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति कमांक 06 दिनांक 07.08.2018 एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति अरथुना द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 1216 दिनांक 10.08.2018 के द्वारा उक्त कार्य हेतु 6.22 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य हेतु श्रम में राशि 69120 व सामग्री मद में राशि 551000 कुल व्यय राशि 620120 पाया गया। ग्राम पंचायत माप पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 43, 44 पर मूल्यांकन राशि 624172 रुपये तकनीकी सहायक मयंक जोशी द्वारा मूल्यांकन दर्ज कर रखा है। साथ ही सहायक अभियंता द्वारा पंचायत समिति अरथुना द्वारा माप मूल्यांकन को प्रमाणित किया गया है। इस सीसी सडक का टीम द्वारा भौतिक सत्यापन करने पर सडक की लम्बाई चोडाई व मोटाई माप पुस्तिका के अनुरुप मौके पर मानी गई तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता बिल्कुल घटिया होने से पुरी सडक पर कंक्रीट उखड कर बिखरी हुई पायी गई। इस कार्य की कुल व्यय राशि 620120 रुपये वसुली योग्य माना है। जिसके लिये तत्कालीन सरपंच श्रीमती विमला देवी, ग्राम विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र गरासिया, मयंक जोशी जेटीए व अन्य दोषी है।

8– हैण्डपम्प स्थापना कार्य ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019–20 में निम्न हेण्डपम्प स्थापित पर व्यय करना–

कसं	कार्य का नाम	व्यय राशि
1	हैण्डपम्प स्थापना कार्य नारायण/दलजी	63,642/–
2	हैण्डपम्प स्थापना कार्य मोहन/गोतमा	63,642/–
3	हैण्डपम्प स्थापना कार्य भगवती/रमेश	63,642/–
4	हैण्डपम्प स्थापना कार्य मानु/नाथु	63,642/–
5	हैण्डपम्प स्थापना कार्य भेरिया गुर्जर	63,642/–
6	हैण्डपम्प स्थापना कार्य कमलाशंकर के घर के पास	63,642/–
7	हैण्डपम्प स्थापना कार्य अकबर/इकबाल के घर के पास	63,642/–

उपरोक्त समस्त स्थापित हैण्डपम्प भौतिक निरीक्षण के दौरान उपरोक्तों के मकान के पास स्थापित पाया गया। ग्राम पंचायत वखतपुरा के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति एवं सहायक अभियंता पंचायत समिति अरथुना द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा राशि 445494 रुपये का अनियमित तरीके से व्यय किया जाना पाया गया है। श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त ग्राम विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर के आदेश कमांक 1390/ 18.09.14 के अनुसार बिन्दु संख्या 05 में हैण्डपम्प/टयुबवेल स्थापना का कार्य की स्वीकृति ग्राम पंचायत को अधीकृत नही कर प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा जारी करने के निर्देश जारी

किये गये है। उक्त निर्देशों के जारी होने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत द्वारा 07 हैण्डपम्पों की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई जो अनुमत नही है। उक्त 07 हैण्डपम्पों पर व्यय कुल राशि 445494 रुपये अनुमत नही होने एवं मूल्यांकन नही होने से राशि अनियमित भुगतान होकर कमेटी द्वारा वसूली योग्य माना है।

परिवाद जांच से आरोपीगण् श्रीमती विमला देवी तत्कालीन सरपंच, श्री मुकेश चन्द्र गरासिया तत्कालीन कनिष्ठ सहायक कार्यवाहक ग्राम विकास अधिकारी, श्री मयंक जोशी तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, श्री महिपाल कटारा तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति अरथुना जिला बांसवाडा द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दूरुपयोग कर एवं श्री पंकज पाटीदार प्रोपराईटर मैसर्स पाटीदार बिल्डींग मटेरियल व कृषि फार्म अरथुना जिला बांसवाडा से आपस में मिलीभगत कर उपरोक्त कार्यो में से बिना कार्य के फर्जी बिलों से भुगतान, बिना सक्षमता के कार्य करवाने, स्वीकृति से हटकर कार्य कराने व घटिया व गुणवत्ता विहिन कार्य कराकर राजकीय राशि का अपव्यय, दुरुपयोग व अनियमित भुगतान किया जाकर राजकोष को 29,43,474 रुपये हानि पहूंचाई जाना जो जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1) (क), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी में प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने से प्रकरण में धारा 17–क भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018 के प्रावधान अनुसार अनुसंधान हेतु सक्षम स्तर पंचायती राज विभाग से पुर्वानुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।

अतः आरोपीगण् (1) श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री भुरालाल निवासी सेनाला तहसील अरथुना जिला बांसवाडा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत वखतपुरा पंचायत समिति अरथुना जिला बांसवाडा (2) श्री मुकेशचन्द्र गरासिया पिता श्री चंपालाल गरासिया निवासी केसरपुरा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक अतिरिक्त कार्यभार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत वखतपुरा पंचायत समिति अरथुना जिला बांसवाडा (3) श्री मयंक जोशी पिता श्री कृपाशंकर जोशी निवासी सरेडी बडी तहसील गढी जिला बांसवाडा तत्कालीन कनिष्ठ तकनीकी सहायक पंचायत समिति अरथुना जिला बांसवाडा (4) श्री महिपाल कटारा पुत्र श्री महेश्वरलाल कटारा निवासी गांव पोरडा पोस्ट वखतपुरा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा तत्कालीन कनिष्ट अभियन्ता, प0स0 बागीदौरा हाल सहायक अभियन्ता, प0स0 आनंदपुरी जिला बांसवाडा (5) तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति अरथुना जिला बांसवाडा (6) श्री पंकज पाटीदार प्रोपराईटर मैसर्स पाटीदार बिल्डींग मटेरियल व कृषि फार्म अरथुना जिला बांसवाडा व प्रोपराईटर कृष्णा ऐजेन्सी अरथूना जिला बांसवाडा के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1) (क), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी के अन्तर्गत बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित हैं।

भवदीय,

(माधोसिंह)
अति0 पुलिस अधीक्षक,
भ्र0नि0 ब्यूरो, बांसवाडा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शिव प्रकाश, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्त 1. श्री केशराम मीणा, अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-भीम, जिला राजसमन्द एवं 2. श्री गोपाल सिंह रावत पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह रावत निवासी हिन्दोला, पुलिस थाना भीम, जिला राजसमन्द (ठेकदार) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध सख्या 249/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

23.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2191-95 दिनांक 23.6.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-द्वितीय।

23.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर